(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 45 / 2014

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बाराँ जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक बारॉ
(सायल)

बनाम

नवीन पुत्र गणेशराम मराठा निवासी रावणजी का चौक, लंका कॉलोनी, जिला बाराँ
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)
2– श्री अरविन्द बघेरवाल अभि0 (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 18.01.2021

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल नवीन पुत्र गणेशराम जाति मराठा निवासी लंका कॉलोनी, जिला बाराँ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, जिला बारॉ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कोतवाली, जिला बारॉ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति अवैध जुआ सट्टा खेलने एवं मारपीट करने की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली, जिला बारॉ में वर्ष 2003 से 2014 तक की अवधि में कुल 21 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. (09), भादस (09), आर्म्स एक्ट (01) एवं एक्साइज एक्ट (02) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से कुल 11 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब हो चुका है। इसके विरुद्ध इंसदादी कार्यवाही भी की [illegible] है [illegible]की दिनों–दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढ़ती जा रही है। जिससे समा[illegible]क्तियों व आम जनता में भय निरन्तर बढ़ता जा रहा हैं। इसके [illegible] भी [illegible]पराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके [illegible] कतराते है [illegible]य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक [illegible] जारी है। इसकी [illegible]शोहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांति एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.02.15 17:07:54 IST
Reason: SelfAttested

अंकुश लगाना आवश्यक है। इस व्यक्ति के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर, इस जिले के सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को कुल 11 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावें। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 01.08.2014 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा प्रकरण में जवाब एवं साक्ष्य गैरसायल प्रस्तुत नहीं कर, प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सहमति पत्र के माध्यम से जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु निवेदन किये जाने पर, प्रकरण में गैरसायल का जवाब एवं साक्ष्य गैरसायल बन्द की जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली, जिला बारॉ में वर्ष 2003 से 2014 तक की अवधि में कुल 21 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. (09), भादस (09), आर्म्स एक्ट (01) एवं एक्साइज एक्ट (02) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से कुल 11 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांति एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। कानून व्यवस्था एवं लोक [illegible] को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस [illegible] आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। [illegible] के [illegible] भी पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती हैं। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.02.15 17:07:54 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूॅ। मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूॅ। मेरे तारीख पेशी पर आने से उस दिन की मजदूरी भी छूट जाती है। अतः मैं स्वंय की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला बदर के स्थान पर थाना बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूॅ। मेरे विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली, बाराँ द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर मुझे थाना बदर में पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारॉ किया जाकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया जावें। जिसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

मेरे द्वारा अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं स्वयं गैरसायल की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली, जिला बारॉ में वर्ष 2003 से 2014 तक की अवधि में कुल 21 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. (09), भादस (09), आर्म्स एक्ट (01) एवं एक्साइज एक्ट (02) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से कुल 11 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि नवीन पुत्र गणेशराम जाति मराठा निवासी लंका कॉलोनी, जिला बाराँ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल कुल 11 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः नवीन पुत्र गणेशराम जाति मराठा निवासी लंका कॉलोनी, जिला बाराँ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली, जिला बारॉ से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूॅ।

गैरसायल नवीन पुत्र गणेशराम जाति मराठा निवासी लंका कॉलोनी, जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना कोतवाली, जिला बारॉ क्षेत्र से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारॉ को देगा। इस अवधि में अपराधिक एवं कोई आचरण नहीं करेगा, जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्ध हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/– रूपये का स्वंय का मुचलका इस अवधि में नेकचलन रहने के संबंध में पेश करेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.02.15 17:07:54 IST
Reason: SelfAttested

गैरसालय के विरूद्व यह आदेश दिनांक 02.02.2021 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारॉ को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना कोतवाली, जिला बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारॉ के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.02.15 17:07:54 IST
Reason: SelfAttested